न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 86/2025(GCMS 2025/364)

(RTI No. 212025954477972)

आशीष गोयल पुत्र श्री इन्द्र कुमार गोयल निवासी 38 नागपाल कॉलोनी, योग दिव्य मन्दिर के पीछे, वार्ड नं. 08, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 9413288102)

बनाम

जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी आशीष गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए अपीलार्थी ने जिला कोषाधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अशीष गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2025 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

जिला कोषागार, श्रीगंगानगर में दधिमथी हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीगंगानगर का पीढ़ी खाता संख्या 1869 पुराना खाता संख्या 117 के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्रदान करें :

1. उपरोक्त वर्णित पीढ़ी खाते में से दिनांक 01 अप्रैल 2014 से दिनांक 01 जुलाई 2025 तक निकल गए .... की सूचना देवें।
2. उपरोक्त खाता की वर्तमान बैलेंस की सूचना देवें।
3. दधिमथी स्कूल में कार्यरत कर्मचारी हेतराम लंबा का पीएफ का कितना पैसा इस खातें में जमा है, उसकी सूचना देवें।
4. उपरोक्त पीढी खाते में से वर्ष 2009 से लगातार 2025 तक जिन–जिन व्यक्तियों को भुगतान किया गया उनको जिस चैक से भुगतान किया गया, उस चैक का नम्बर व राशि की सूचना देवें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/आरटीआई/2025–26/2145 दिनांक 16.10.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 86/2025
(GCMS No. 2025/364)
(RTI No. : 212025954477972)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी/आवेदक श्री आशीष गोयल पुत्र श्री इन्द्र कुमार गोयल निवासी 38 नागपाल कॉलोनी, योग दिव्य मंदिर के पीछे, श्रीगंगानगर के द्वारा इस कार्यालय के नाम सूचना का अधिकार 2005 का ऑनलाईन आवेदन नं. 212025954477972 दिनांक 31.07.2025 की प्रति पत्र के साथ प्राप्त हुई है। उक्त अपील में आवेदक द्वारा संस्थान दधिमथी सी. सै. सैकेंडरी स्कूल, श्रीगंगानगर के पी.डी. खाता संख्या 1869 एवं पुराना खांता 117 के संबंध में चाही गयी सूचना का कार्यालय अभिलेखानुसार बिंदुवार विवरण निम्न प्रकार से है :

1. दिनांक 01.04.2014 से 01.07.2025 तक की राशि – 404368.00
2. दिनांक 01.04.2014 से 01.07.2025 तक का वर्तमान शेष राशि– 1113677.00
3. बिन्दु संख्या 03 की सूचना इस कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है, अतः सूचना नहीं दी जा सकती।
4. बिन्दु संख्या 04 की सूचना इस कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है अतः सूचना नहीं दी जा सकती।

कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" [illegible] उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध [illegible] में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, [illegible] परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं परन्तु कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने जवाब के साथ ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह ज्ञात होता हो की उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गई हो। इसलिए कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्ति 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आपके कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को बिन्दुवार निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति **कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.11.14 10:37:47 IST
Reason: SelfAttested